न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—517/2016 (2016/00517)

1. मौहम्मद युनुस पुत्र करीमुल्ला, जाति मुसलमान, निवासी राजनगर, बिजयनगर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बिजयनगर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा धारा 8 धार्मिक भवन एवं स्थान अधिनियम 1957 विरूद्ध आदेश विद्वान जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर दिनांक 30.11.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 25/2011.

उपस्थितः—

1. श्री सुनील कुमार शर्मा, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार ।

निर्णय

दिनांकः—24.10.2018

1. यह अपील विद्वान जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के आदेश दिनांक 30.11.2016 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि थानाधिकारी, पुलिस थाना, बिजयनगर द्वारा इस्तगासा अंतर्गत धारा 107, 116 (3) जा0फौ0 व 5 व 6 धार्मिक भवन एवं स्थान अधिनियम में बखिलाफ गैरसायल के इस आशय का प्रस्तुत किया कि मस्जिद वमदरसा कमेटी द्वारा राजनगर, बिजयनगर में स्थित मस्जिद में बिना सक्षम स्वीकृति के अवैध मीनार एवं अन्य निर्माण दिन व रात्रि में करवाये जाने की सूचना एवं रिपोर्ट पर कई बार काम रूकवाये जाने के पर भी कार्य बंद नहीं किया जा रहा है जिससे कस्बा बिजयनगर में धार्मिक विवाद होने की संभावना है । अतः गैरसायल के खिलाफ समायत सलूक कानूनी फरमावें । उक्त इस्तगासा विद्वान जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत होने पर विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने प्रकरण अंतर्गत धारा 5 व 6 राज0धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम 1054 के तहत दर्ज कर गैरसायल को नोटिस जारी किये । गैर सायल जरिये अभिभाषक

उपस्थित होने तथा जवाब/लिखित बहस प्रस्तुत करने के उपरांत विद्वान जिला कलक्टर ने अपने आदेश दिनांक 30.11.2016 द्वारा स्वीकार प्रार्थी थानाधिकारी, बिजयनगर का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैर सायल को पाबंद किया गया कि नगर पालिका, बिजयनगर एवं कलक्टर की नियमानुसार स्वीकृति के बिना किसी भी तरह का निर्माण नहीं करे । विद्वान जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

3. बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण सुनी गई । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस एवं लिखित बहस में कथन किया कि जामा मस्जिद 150 वर्ष पुरानी है तथा मस्जिद की मीनारें जीर्ण–शीर्ण हालत में थी जिससे कभी भी जान–माल की हानि हो सकती थी इसलिये जीर्णशीर्ण मीनारों को ढ़हाकर पुनः उसी स्थान नयी मीनारों का कार्य किया जा रहा था जो लगभग 80–85 प्रतिशत पूर्ण हो चुका था । प्रार्थी ने तहसीलदार, बिजयनगर, उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, नगर पालिका बिजयनगर एवं जिला कलक्टर, अजमेर से अधूरे कार्य को पूर्ण करने की स्वीकृति मांगी थी लेकिन आज दिन तक किसी के द्वारा कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि राजस्थान धार्मिक भवन और स्थान अधिनियम की धारा 5 व 6 में कहीं भी नहीं लिखा है कि जीर्णोद्वार व मरम्मत करने के लिये नगर पालिका व जिलाधीश की अनुमति आवश्यक है । इस संबंध में विद्वान वकील अपीलांट ने आर0एल0डब्ल्यू0 1989 (1) पेज 271 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे यह भी कथन किया कि पुलिस थानाधिकारी, बिजयनगर ने प्रार्थी/अपीलांट के विरूद्ध एक इस्तगासा अंतर्गत धारा 107, 116 (3),कार्यालय एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बिजयनगर उनवानी राज0 सरकार बनाम हाजी मोहम्मद युनुस प्रस्तुत किया है तथा समान तथ्यों पर ही विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के न्यायालय में भी इस्तगासा प्रस्तुत किया है । जाप्ता फौजदारी अंतर्गत धारा 300 के तहत समान तथ्यों पर दो जगह कार्यवाही नहीं चल सकती है इसलिये भी उक्त आदेश दिनांक 30.11.2016 निरस्तनीय है । नगर पालिका, बिजयनगर ने दिनांक 8.5.1983 को अध्यक्ष, जामा मस्जिद कमेटी, बिजयनगर को बकाया गृहकरण जमा कराने का नोटिस दिया था जिससे भी यह सिद्ध है कि उक्त बिल्डिंग जामा मजिस्द की है । जामा मस्जिद बिजयनगर के मीनारों के जीर्णोद्वार के बाबत् नगर पालिका, बिजयनगर के पार्षदों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र भी दिया गया है । अधी0न्याया0 ने राजस्थान धार्मिक भवन और स्थान अधिनियम की धारा 5 व 6 में उल्लेखित प्रावधानों का अवलोकन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 विद्वान जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर का आदेश दिनांक 30.11.2016 अपास्त किया जावे ।

4. जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर आदेश का विधिसम्मत् है । अपीलांट द्वारा बिजयनगर में स्थित जामा मस्जिद में बिना सक्षम स्वीकृति के अवैध मीनार एवं अन्य निर्माण कार्य कराया जा रहा है अवैध है । राजस्थान धार्मिक भवन और स्थान अधिनियम 1954 की धारा 4 (2) में भवन की परिभाषा दी गई है जिसके अनुसार अपीलांट द्वारा करवाया जा रहा निर्माण भवन की परिभाषा में आता है तथा ऐसे निर्माण के लिये धारा 5 व 6 के अनुसार कोई भी व्यक्ति कलक्टर की लिखित अनुमति के बिना किसी सार्वजनिक धार्मिक भवन का निर्माण नहीं कर सकता है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने आगे कथन किया कि धारा 6 (2) के तहत पहले स्थानीय सत्ता अथवा अधिकारी से अनुमति लेने के उपरांत विहित रीति से कलक्टर को आवेदन करेगा किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा

ऐसा नहीं कर सीधे ही भवन का निर्माण किया जा रहा है जो अवैध होने से विद्वान जिला कलक्टर ने राजस्थान धार्मिक भवन और स्थान अधिनियम की धारा 5 व 6 के तहत नगर पालिका एवं कलक्टर की नियमानुसार स्वीकृति के बिना किसी भी तरह के निर्माण नहीं करने से पाबंद किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांट अपास्त की जावे ।

5. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया ।

6. अपीलांट की ओर से अपील मीमों एवं बहस में यह कथन किया गया कि मस्जिद की जीर्ण–शीर्ण मीनारों को ढहाकर पुनःउसी स्थान पर नई मीनारों का निर्माण किया जा रहा था न कि कोई नया निर्माण किया जा रहा था । आगे यह भी कथन किया कि राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थान अधिनियम की धारा 5 एवं 6 के अनुसार जीर्णोदार एवं मरम्मत के लिये नगर पालिका एवं जिलाधीश की अनुमति आवश्यक नहीं है । इसकी ताईद में उनके द्वारा आर0आर0डी0 1973 पेज 291 की कानूनी नजीर भी पेश की ।

7. इस संदर्भ में न्यायालय को यह देखना है कि आया मस्जिद में किया गया निर्माण जीर्णाद्वार/मरम्मत की श्रेणी में आता है या नये निर्माण की श्रेणी में । इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध नगर पालिका, विजयनगर की रिपोर्ट जो जरिये पत्रांत 2918 दिनांक 15.9.2016 को जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर को भेजी गयी थी, का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि मस्जिद में मरम्मत के अलावा नया निर्माण कार्य भी किया गया था तथा मीनारों की ऊंचाई भी बढ़ाई जा रही थी तथा उक्त निर्माण बिना पालिका की स्वीकृति के करवाया जा रहा था, अतः इसे रूकवा दिया गया था । ऐसी स्थिति में नया निर्माण होने के कारण राज0 धार्मिक भवन एवं स्थान अधिनियम 1954 की धारा 5 एवं 6 के प्रावधान प्रकरण में लागू होते है । अर्थात् कलक्टर की अनुमति के बिना किसी सार्वजनिक धार्मिक भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता है तथा धारा 6 (2) के अनुसार कलक्टर को आवेदन से पूर्व स्थानीय सत्ता/अधिकारी से अनुमति लेना भी आवश्यक है । अतः विद्वान अभिभाषक अपीलांट के इस कथन की पुष्टि नहीं होती है कि प्रश्नगत निर्माण मरम्मत की श्रेणी में आता है । ऐसी स्थिति में आर0आर0डी0 1973 पेज 291 जो कि मरम्मत के संबंध में है, इस प्रकरण में चस्पा नहीं होती है ।

8. द्वितीय आक्षेप अपील में सार्वजनिक (Public) की परिभाषा का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत अर्थ निकालेजाने के संबंध में है ।

9. इस संबंध में राज0 धार्मिक भवन व स्थान अधिनियम 1954 की धारा 4 (2) में भवन की परिभाषा में ''पक्की दीवारें भी आती है तथा ये धारा 4 (5) के अनुसार सार्वजनिक (Public) की परिभाषा में आती है ।

10. उक्त के अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने आदेश में यही उल्लेख किया है कि सार्वजनिक धार्मिक स्थल मस्जिद में निर्माण कार्य राज0 धार्मिक भवन एवं स्थान अधिनियम की धारा 5 व 6 के तहत नगर पालिका, विजयनगर की नियमानुसर स्वीकृति के बिना नहीं किया जावे । इस प्रकार आदेश में निर्माण कार्य की सक्षम स्वीकृति लेकर ही करने बाबत् ही निर्देशित किया गया है, न कि निर्माण कार्य को रोका गया है । उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचन के आधार पर जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, अजमेर के आदेश दिनांकित 30.11.2016 में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने के कारण आक्षेपित आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है । आदेश विधिसम्मत् होने के कारण इसे यथावत् रखा जाना न्यायोचित एवं उचित समझते है ।

11. उक्तानुसार अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा विद्वान जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, अजमेर के ओदश दिनांकित 30.11.2016 को यथावत् रखा जाता है ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज 24.10.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर